Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old

अनुमन्डल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)बनमनखी,पूर्णिया बिहार

स्वत्व वाद सं.50/21

अशोक मेहता बनाम अरुण कुमार एवम अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
09/02/24	वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है। प्रतिवादी की कोइ पैरवी नही है |यह वाद वादी की ओर से आ.1 नि.10 (2) दिवानी प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 08/11/2023 पर सुनवाई एवम आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है | उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है की इस वाद के प्रतिवादी सं.1 के द्वारा कई केवाला निष्पादित किया गया है जिस कारण से उक्त केवाला के क्रेता मो.मुस्ताक,सुलेखा देवी,मंजु देवी,ममता देवी गुडिया कुमारी एवम रानी कुमारी को प्रतिवादी स.9 से 14 के रुप मे जोडे जाने की कृपा करे | प्रतिवादी के द्वारा प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है की प्रतिवादी के द्वारा सुमित्रा देवी के द्वारा स्वर्जित सम्पत्ति की विक्री की गई है जिसमे वादी को कोइ हक नही है जिस कारण से वादी का उक्त आवेदन खारिज किए जाने योग्य है | उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया| अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह स्वीकृत है वादभूमि मे से उपरोक्त क्रेता को जमीन की विक्री की गई ऐसी दशा मे वाद के प्रभावी एवम न्यायपूर्ण निराकरण के उक्त क्रेता गण को वाद मे पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है | अत : न्यायहित मे वादी के उक्त आवेदन को स्वीकृत कर प्रतिवादी सं.9 से 14 के रुप मे जोडे जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तत्पश्चात वादी समन सामग्री दाखिल करे | वाद आगामी दिनांक 05/03/24 को उपस्थिति हेतु नियत | लेखापित- असैनिक न्या.(व.को.)बनमनखी पूर्णिया ,बिहार	